"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 मई 2011—वैशाख 19, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (30).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23C) दिनांक 31-03-2011 में दिनांक 01-04-2011 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम (2) में अ. क्र. 4 के सामने शब्द "लोभान" के पश्चात् शब्द "गंगाजल" जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2011

क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (30).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (30), दिनांक 09-05-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 9th May 2011

NOTIFICATION

No. F-10/23/2011/CT/V(30).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in notification No. F-10/23/2011/CT/V (23C) dated 31-03-2011, with effect from 01-04-2011 :—

AMENDMENT

In column (2) against S. No. 4 of the said notification after the word "Lobhan" the word "Gangajal" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.